

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री राजेश कुमार

बनाम

विपक्षी : श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा - 136 भू राजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 158/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 22.07.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपरिथत। राजपेरोकार उपरिथत। प्रकरण म पत्रावली के अवलोकन से पाया की प्रार्थी यशवन्त कुमार पिता नगजीराम खटीक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की खाता संख्या 1702 रकवा 0.1900 है। भूमि में अपने भाई राजु पुत्र नगजीराम का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन हांनो बता कर राजु पिता नगजीराम खटीक के बजाय राजेश कुमार खटीक पिता नगजीराम खटीक किये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र खातेदार राजु पुत्र नगजीराम खटीक द्वारा पेश न होकर यशवन्त कुमार पिता नगजीराम खटीक द्वारा पेश किया गया है जो प्रार्थनाग्रस्त भूमि में खातेदार नहीं है जिससे स्पष्ट है कि राजु पुत्र नगजीराम खटीक राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की शुद्धि नहीं करवाना चाहता है। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार द्वारा शुद्धि हेतु आवेदन नहीं करने से प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

